



भारत सरकार
पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय
क्षेत्रीय कार्यालय (मध्य)
Ministry of Environment, Forest and Climate Change
Regional Office (Central Region)



केन्द्रीय भवन, पंचम तल, सैक्टर-एच, अलीगंज, लखनऊ-226024

Kendriya Bhawan, 5th Floor, Sector-H, Aliganj, Lucknow- 226024, Telefax: 2326696, 2324340, 2324025
Email: (Env.) m_env@rediffmail.com, (Forest) goimoeffolkko@gmail.com

पत्र संख्या- 8बी/यू.पी./04/54/2017/एफ.सी. 695

दिनांक: 14-12-17

सेवा में,
विशेष सचिव (वन),
वन अनुभाग, 6वां तल,
बापु भवन, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

ऑनलाईन प्रस्ताव संख्या-FP/UP/TRANS/22272/2016

विषय: अलीगढ़ में 400 के0वी0 डबल सर्किट अलीगढ़ ग्रिडला पारेषण लाइन के निर्माण हेतु 0.1564 हे0 संरक्षित वनभूमि का गैर वानिकी प्रयोग एवं उस पर अवस्थित 14 वृक्ष एवं 02 पौधों के पातन की अनुमति।

सन्दर्भ: विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- 2300/14-2-2017-800 (80)/2017, दिनांक- 21.11.2017

महोदय,

उपरोक्त विषय पर विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक- पी-81/14-2-2017-800 (80)/2017, दिनांक- 02.08.2017 का आशय ग्रहण करने ग्रहण करने का कष्ट करें। जिसके द्वारा विषयांकित प्रस्ताव पर वन संरक्षण अधिनियम 1980 की धारा (2) के अन्तर्गत भारत सरकार की स्वीकृति माँगी थी।

प्रकरण में इस कार्यालय के समसंख्यक पत्र दिनांक- 21.08.2017 द्वारा आवश्यक सूचनाएं चाही गयी थी जिसकी अनुपालन आख्या विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के उपरोक्त संदर्भित पत्र द्वारा प्रस्तुत की गयी है। प्रस्तुत अनुपालना पर विचारोपरान्त मुझे आपको यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि प्रकरण में चाही गयी बिन्दुवार सूचना अनुसार बिन्दु संख्या-2 की अनुपालना राज्य सरकार द्वारा नही प्रस्तुत की गयी है पूर्ण अनुपालना राज्य सरकार द्वारा अपेक्षित है।

भवदीय

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक(के.)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

1. मुख्य वन संरक्षक एवं नोडल अधिकारी (वन संरक्षण), वन विभाग, 17 राणा प्रताप मार्ग, लखनऊ, उ0 प्र0।
2. प्रभागीय वनाधिकारी, सामाजिक वानिकी प्रभाग, अलीगढ़, उ0 प्र0।
3. मुख्य प्रबन्धक, गुडगाँव पलवल पारेषण लाइन, एफ1, मीर कारपोरेट सूट, ईश्वर नगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली-110066
4. तकनीकी अधिकारी, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, लखनऊ को वेबसाइट पर अपलोडिंग हेतु प्रेषित।
5. आदेश पत्रावली

(बृजेन्द्र स्वरूप)
वन संरक्षक (केन्द्रीय)

कार्यालय, मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

पत्रांक- 1632/अलीगढ़/22272/2016, दिनांक, लखनऊ, दिसम्बर 15, 2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं इस आशय से प्रेषित कि भारत सरकार द्वारा अपेक्षित सूचना एवं अभिलेख इस कार्यालय को तत्काल उपलब्ध कराने का कष्ट करें :-

- 1- वन संरक्षक, अलीगढ़ वृत्त, अलीगढ़।
- 2- प्रभागीय निदेशक, सा0वा0 प्रभाग, अलीगढ़।
- 3- मुख्य प्रबन्धक, गुडगाँव पलवल पारेषण लाइन, एफ-1, मीर कारपोरेट सूट, ईश्वरनगर, मथुरा रोड, नई दिल्ली।

(आर0 आर0 जमुआर)
मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी,
वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।